परिशिष्ट III

प्रवर्तित/ परिवर्तित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

क्र	मद	टिप्पणी
1.	संस्था का नाम (यदि है तो, पुराने नाम सहित)	
2.	संस्था का विवरण	फॉर्म X
3.	संस्था का शेयरहोल्डिंग पैटर्न	
4.	बैंक में संस्था की प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग और मताधिकार	
5.	संस्था का नेटवर्थ (सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
6.	बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग के लिए धन का स्रोत (सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
7.	बैंक में प्रस्तावित समग्र शेयरहोल्डिंग (राशि और %) - प्रमोटर समूह, कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 ख के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित अनुसार), एसोसिएट एंटरप्राइजेज (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12ख के स्पष्टीकरण 1 (क) में परिभाषित अनुसार), और उन संस्थाओं द्वारा, जिनमें प्रमोटर समूह का हित निहित है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]	फॉर्म XI
8.	बैंक में कुल शेयरहोल्डिंग के लिए धन का स्रोत जैसा कि ऊपर 7 में दर्शाया गया है (सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित)	
9.	यदि संस्था एक व्यावसायिक संघ/ किसी निकाय का सदस्य है, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू या इसके खिलाफ अतीत में मिली सजा, क्या जिसके परिणामस्वरूप किसी भी व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंध लगा दिया गया है।	
10.	क्या संस्था सरकारी विभाग या एजेंसी के आदेश पर किसी जांच के अधीन है?	
11.	अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू हुआ या जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए संस्था के खिलाफ अतीत में दोषसिद्धि हुई	
12.	आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू हुआ या जिसके परिणामस्वरूप संस्था के खिलाफ अतीत में दोषसिद्धि हुई	

क्र	मद	टिप्पणी
13.	क्या किसी भी समय संस्था को सीमा शुल्क/ उत्पाद/ आयकर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/ विनियमों/ विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, यदि ऐसा है तो विवरण दें	
14.	क्या किसी भी समय संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित किसी नियामक/ जांच एजेंसी की प्रतिकूल सूचना आई है। (यद्यपि किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह विनियामकों द्वारा दिए गए आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करे, जिसे बाद में पूर्ण रूप से हटा दिया गया हो, यदि इस प्रकार हटाना तकनीकी कारणों जैसे सीमा या क्षेत्राधिकार की कमी आदि के कारण है, और योग्यता के आधार पर नहीं। यदि विनियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई जाती है और अपीलीय/ न्यायालय कार्यवाही लंबित है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।	
15.	क्या संस्था को बेईमानी, अक्षमता या कदाचार के कारण जनता के सदस्यों को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए बनाए गए किसी भी कानून के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।	
16.	वित्तीय क्षेत्र में अन्य बैंकों और अन्य संस्थानों में संस्था के शेयरहोल्डिंग/ मताधिकार का विवरण	
17.	वित्तीय क्षेत्र में अन्य बैंकों और अन्य संस्थानों के बोर्डों में संस्था के प्रतिनिधित्व का विवरण	
18.	पिछले तीन वर्षों के लिए संस्था का आयकर रिटर्न	
19.	पिछले 3 वर्षों के लिए संस्था की लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट	
20.	कोई अन्य स्पष्टीकरण	

घोषणा

मैं यह पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं इस घोषणा को प्रस्तुत करने के बाद होने वाली सभी घटनाओं को, जितनी जल्दी हो सके, बैंक को पूरी तरह से सूचित करने का वचन देता हूं, जो ऊपर दी गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।

प्रवर्तित/ परिवर्तित संस्था का हस्ताक्षर और मोहर

स्थान :

दिनांक :

<u>फॉर्म X</u>

<u>प्रवर्तित/ परिवर्तित संस्था का विवरण</u>

संस्था का नाम*	प्रवर्तित / परिवर्तित संस्था में विदेशी शेयरहोल्डिंग	संस्था के प्रमुख प्रमोटर, शेयरहोल्डिंग के% के साथ	निगमन की तिथि	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं .	टैन सं	सी आई एन सं .	आयकर सर्किल जिससे संस्था संबंधित है	नियामक का नाम	यदि संस्था को विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च ---- के अनुसार			
													कुल आस्ति (करोड़ रुपए में)	कुल राजस्व/ आय (करोड़ रुपए में	कुल नेटवर्थ (करोड़ रुपए में)	प्रदत्त पूंजी

* यदि है तो, पिछले नाम सहित

फॉर्म XI

बैंक में प्रस्तावित समग्र शेयरहोल्डिंग (राशि और %) - प्रमोटर समूह, कंसर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति (जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12ख के स्पष्टीकरण 1(क) में में परिभाषित अनुसार), एसोसिएट एंटरप्राइजेज (जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12ख के स्पष्टीकरण 1(क) में परिभाषित अनुसार), और उन संस्थाओं द्वारा, जिनमें प्रमोटर समूह का हित निहित है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें]

व्यक्ति/संस्था का नाम*	प्रमुख शेयरधारक के साथ संबंध, शेयरहोल्डिंग % के साथ, यदि कोई हो	जन्म तिथि/निगमन	व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति	पंजीकृत कार्यालय का पता	पैन सं	डी आई एन सं	टैन सं	सी आई एन सं	आयकर सर्किल जिससे व्यक्ति/इकाई का संबंध है	विनियामक का नाम	यदि इकाई को विनियमित किया जाता है तो पंजीकरण विवरण	बैंक, शाखा और खाता संख्या (प्राप्त ऋण सुविधाएं और गैर-निधि आधारित सुविधाएं सहित)	31 मार्च --- के अनुसार		बैंक में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	
													कुल आस्ति (करोड़ में)	कुल नेटवर्थ (करोड़ में रुपए)	रुपये में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग	% में प्रस्तावित शेयरहोल्डिंग

* यदि है तो, पिछले नाम सहित